कार्यालय नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

संख्या- २०१/कैम्प-न०आ०/२०१९-२०

दिनांक-अप्रैल १२ , 2019

कार्यालय-आदेश

नगर क्षेत्र में उपलब्ध करायी जा रही जनोपयोगी सुविधाएं यथा उत्कृष्ठ सफाई व्यवस्था, सीवरेज, पेयजल, सड़क/गली मरम्मत, सीवर एवं जल संयोजन, मलवा निस्तारण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आम जनमानस को उचित प्रकार से प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है। साथ ही उक्तानुसार सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है-

1. नगर की सफाई व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाये जाने हेतु नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नगर क्षेत्र का भ्रमण किया जाय । भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित कराया जाय कि कहीं भी कूड़े का ढेर पड़ा हुआ न रहे । लोगो द्वारा फेका जाने वाला कूड़ा निर्धारित स्थल/कूड़ेदान में ही डाला जाय । कूड़ाघरों से नियमित रूप से कूड़े का उठान व संयत्र तक भेजे जाने हेतु की जाने वाली समस्त प्रकार की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर सुनिश्चित करा ली जाय । कूड़ाघरों से कूड़ा साफ होने के उपरान्त वहां पर पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक व चूना आदि का छिड़काव किया जाय । निरीक्षण के दौरान नियम विरूद्ध तरीके से कूडा फैलाने वालों, प्लास्टिक पालीथीन का उपयोग करने वालों, दुकानदारों/ठेला-खोमचे वालो द्वारा कूड़ेदान का प्रयोग न करने पर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं स्वच्छता उपविधि-2016 व एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जुर्माना वसूली व चालान की कार्यवाही अमल में लायी जाय । प्रत्येक दिवस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा जिस क्षेत्र में निरीक्षण किया जा रहा है, वहां के महत्वपूर्ण धर्मस्थल, महत्वपूर्ण मार्ग, कार्यालय, सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि की सफाई समय से सुनश्चित हो।

   उक्त कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सभी जोनल अधिकारी, सभी जोनल स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक सहित जोन के प्रभारी अधिकारी/अपर नगर आयुक्त/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नामित किया गया है । नामित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिवस प्रात: 07.00 बजे से 09.00 बजे तक अपने आवंटित जोन/क्षेत्र का सघन पर्यवेक्षण करते हुए सफाई से सम्बन्धित उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे । सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिवस निरीक्षण के दौरान कम से कम 05 ऐसे लोगों से जुर्माना/चालान काटने की कार्यवाही की जाएगी, जिनके द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं स्वच्छता उपविधि-2016 व ए0जी0टी0 के नियमों का पालन नही किया जा रहा है। इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

क्रमशः.....................................

2. नगर में जगह-जगह पर मलवा फेके रहने, जिससे अनावश्यक रूप से मार्ग अवरूद्ध होते है को हटाये जाने की कार्यवाही की जानी है । इस हेतु अभियन्त्रण विभाग के सभी अभियन्ताओं द्वारा प्रतिदिवस अपने आवंटित क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए मलवा को वहां से हटाकर उसके नियत स्थल पर भेजे जाने की कार्यवाही की जाएगी ।

इस कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता, समस्त अधिशासी अभियन्ता, समस्त सहायक अभियन्ता, समस्त अवर अभियन्ता सहित सम्बन्धित जोन के जोनल अधिकारी सहित उस जोन के प्रभारी/अपर नगर आयुक्त को नामित किया गया है । नामित अधिकारी/अभियन्ता द्वारा प्रत्येक दिवस प्रात: 07.00 बजे से पूर्वा0 9.00 बजे तक अपने आवंटित जोन/क्षेत्र में भ्रमण किया जाएगा । सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता द्वारा प्रत्येक दिवस निरीक्षण के दौरान कम से कम 05 ऐसे लोगों से जुर्माना/चालान काटने की कार्यवाही की जाएगी, जिनके द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन एवं स्वच्छता उपविधि-2016, एन0जी0टी0 व मलवा निस्तारण नियमावली-2016 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।

3. नगर के किसी न किसी क्षेत्र में सीवर जाम/ओवरफ्लो के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति की समस्या आए दिन बनी रहती है । इसके दृष्टिगत नागरिकों द्वारा उच्चाधिकारियों को दूरभाष पर इसकी जानकारी दी जाती है तथा समस्या के निराकरण का अनुरोध भी किया जाता है । प्राप्त होने वाली ऐसी सूचनाओं से उच्चाधिकारी द्वारा जलकल विभाग को अवगत करा दिया जाता है किन्तु काफी समस्याओं का निराकरण समय से न होने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त होता है । उक्तानुसार समस्याओं के निराकरण हेतु जलकल विभाग के महाप्रबन्धक, सचिव, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता अपनी टीम के साथ प्रतिदिवस अपने से सम्बन्धित क्षेत्र का नियमित रूप से प्रात: 07.00 बजे से 09.00 बजे तक निरीक्षक करेंगे । इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।

4. नगर क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में उ0प्र0 जल निगम की गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई व पेयजल इकाई द्वारा सीवर लाइन व पेयजल लाइन बिछायी गयी है । इसके अतिरिक्त अमृत योजना में सीवर व पेयजल पाइप लाइन के गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है । उक्त संस्था द्वारा कराये जा रहे सीवर व पेयजल कनेक्शन के कार्य में कतिपय शिकायते आयुक्त महोदय को प्राप्त हो रही है, जिसके दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम की वाराणसी में कार्य कर रही समस्त इकाई यथा गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, पेयजल इकाई सहित अन्य समस्त इकाई के महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना प्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता अपनी टीम के साथ प्रतिदिवस अपने से सम्बन्धित क्षेत्र का नियमित रूप से प्रात: 07.00 बजे से 09.00 बजे तक निरीक्षक करते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि उनकी इकाई द्वारा किया जा रहा कार्य मानक के अनुरूप व नियमानुसार हो रहा है । इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।

क्रमश:...

5. नगर के किसी न किसी क्षेत्र मे आए दिन मार्ग प्रकाश हेतु अधिष्ठापित प्रकाश बिन्दुओं के खराब होने तथा दिन में देर तक जलते रहने की शिकायत प्राप्त होती रहती है । इसके अतिरिक्त नगर में जगह-जगह यथा घाट, प्रमुख इमारत आदि पर किये गये फसाड लाइटिंग, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत अधिष्ठापित करायी जा रही मार्ग प्रकाश की व्यवस्था तथा इस दौरान निकाले गये ई0ई0एस0एल0 की लाइटों को आवश्यकतानुसार अन्यत्र लगाया जाना से सम्बन्धित कार्यो में उक्तानुसार प्राप्त हो रही शिकायतों का अनुश्रवण व समय से निराकरण नहीं हो पाने के कारण आमजनता को काफी परेशानी होती है । इसके दृष्टिगत मार्ग प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रभारी/अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अभियन्ता, आलोक अधीक्षक एवं अवर अभियन्ता अपनी टीम के साथ प्रतिदिवस नियमित रूप से प्रातः 06.00 बजे से 09.00 बजे तक निरीक्षण करते हुए उक्तानुसार प्राप्त हो रही शिकायतों का निराकरण कराएंगे तथा यह सुनिश्तिच करायें कि सूर्य के प्रकाश में कोई लाइट न जले । आवश्यकतानुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी रात्रि में 07.00 बजे से 09.00 तक भ्रमण कर समस्याओं का निराकरण कराएंगे तथा यह सुनिश्चित कराएंगे कि लगी हुई समस्त लाइट्स जल रही है । निरीक्षण के दौरान नगर निगम के आलोक विभाग की टीम के साथ ई0ई0एस0एल0 के प्रतिनिधि, सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के अभियन्ता, शापूरजी पालोनजी कं0 के प्रतिनिधि, फिलिप्स के प्रतिनिधि भी साथ में उपस्थित रहेंगे तथा प्रतिदिन भ्रमण कर मार्गवार, वार्डवार लाइट्स के ठीक होने की आख्या प्रेषित करेंगे । इस कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्तागण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराया जाय । इस कार्य में किसी भी स्तर से कोई भी शिथिलता बरती जा रही है तो सम्बन्धित विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी आख्या आयुक्त महोदय को प्रेषित किया जाएगा ।

12/04/19

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
नगर आयुक्त

पत्रांक- 20/ कैम्प-न0आ0/2019-20   दिनांक- 12.04.19

प्रतिलिपि-

1. मा0 महापौर, वाराणसी नगर निगम को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त अपर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
5. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
6. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम को अनुपालनार्थ ।
7. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी नगर निगम को अनुपालनार्थ ।

क्रमशः...